FORM NO.111

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

ज्याना देवी वगै0 बनाम् अर्जून वगै0

किस्म मुकदमाः– दावा मुकदमा नम्बरः– 17/2018

म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
3	वादीगण वकील श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर दावा पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 26.03.2018 को पेश हो। Gm	
18	पक्षकार [illegible] वकील [illegible] उपस्थित/ [illegible] /अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16-4-18 को पेश हो। Vimla	
8	पक्षकार [illegible] वकील [illegible] उपस्थित/ [illegible] कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26-7-18 को पेश हो। Vimla	
5-18	**राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष–201** श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महो. राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर के पत्रांक प.12 (15) राज–1/2018 दिनांक -- की पालना एवं श्रीमान जिला कलक्टर महो. सीकर के द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना में पत्रावली पूर्व नियत तारीख पेशी 26-7-18 से तलब होकर आज पेश हुई। उक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में पत्रावली लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखी जाती है। अतः लोक अदालत/कैम्प स्थल अटल सेवा केन्द्र– सिहोड़ी में दिनांक 22-5-18 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थान पर उपस्थित होने हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी हो। Gm	
05.2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– सिहोड़ी में पेश हुई। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से राजीनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। Gm	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

~~ज्याना देवी वगै0 बनाम अर्जुन वगै0~~

दावा ईस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा व दुरूस्ती रिकार्ड
मुकदमा नं0 17/2018

प्रकरण में उपस्थित समस्त पक्षकारान् ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। पक्षकारान के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में वादीगण नम्बर 2 ता 6, 8 ता 19 व प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 ने आपस में राजीनामा हो जाने से दौराने शिविर आज ही राजीनामा पेश किया एंव प्रकरण का लोक अदालत की भावना से बरूये राजीनामा निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम गीदावाला के कृषि भूमि खसरा नम्बर 335 लगायत 339, 342 लगायत 346 कुल किता 10 कुल रकबा 7.28 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 309 लगायत 322 कुल किता 14 कुल रकबा 8.64 हैक्टर , भूमि खसरा नम्बर 352 लगायत 360, 362 लगायत 364 कुल किता 12 कुल रकबा 7.43 हैक्टर , भूमि खसरा नम्बर 243 लगायत 246, 250 लगायत 252, 254 लगायत 256, 261 लगायत 264 कुल किता 14 कुल रकबा 12.09 हैक्टर एंव ग्राम ढ़ाबावाली के कृषि भूमि खसरा नम्बर 200, 201, 202, 242 जो वादीगण व प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमियॉ है। उक्त भूमियों का वादीगण एंव प्रतिवादीगण ने ग्राम गीदावाला की अपनी बारानी भूमि की खातेदारी भूमियों को मिलाकर मौके पर बांट रखी है। जिनमें प्रतिवादी नम्बर 1, 2 व 4 ने मौके पर बारानी भूमियॉ बांटे में ले रखी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वादीगण को चाही भूमियॉ सम्भला रखी है। उक्त अंकित भूमियों का बंटवारा कर तन्हा वादीगण का कब्जा काश्त करवा रखा है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार से है जो सजरा खानदान से स्पष्ट होता है। उक्त वर्णित भूमियों में से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बारानी भूमियॉ बंटवारे में ले रखी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने कुछ भूमि एक खाते की भूमि में 1/4 का 1/4 भाग ले रखा है। शेष भूमि बारानी भूमियॉ ले रखी है।

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
ज्याना देवी वगै0 बनाम् अर्जून वगै0 दावा ईस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा व दुरूस्ती रिकार्ड मुकदमा नं0 17/2018 भूमि खसरा नम्बर 352 लगायत 360, 362 लगायत 364 में खातेदारी में दर्ज भूमि अर्जून सुवा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम वाली भूमियों पर वादीगण संख्या 1 लगायत 10 काबिज काश्त है तथा 335 लगायत 339, 342 लगायत 346 में हिस्सा 1/4 में हिस्सा 1/4 भाग वादीगण 11 लगायत 19 हिस्सा 1/16, हिस्सा 1/4 का 1/2 भाग अर्थात् कुल भूमि का हिस्सा 1/8 वादीगण 1 लगायत 10 तथा 1/4 का 1/4 भाग कुल भूमि का 1/16 भाग प्रतिवादी संख्या 3 काबिज काश्त है। इसी अनुसार बंटवारा हुआ है। खसरा नम्बर 309 लगायत 322 कुल किता 14 रकबा 8.64 हैक्टर तन् ग्राम गीदावाला में हिस्सा 1/4 का 2/3 भाग वादीगण संख्या 11 लगायत 14 हिस्सा 1/6 तथा वादीगण संख्या 15 लगायत 19 हिस्सा 5/6 काबिज है। उक्त भूमि में वादीगण संख्या 1 लगायत 10 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उक्त भूमि बंटवारें में वादीगण संख्या 11 लगायत 19 को बंटवारे में मिली है। इन्ही का कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 243 लगायत 246, 250 लगायत 252, 254 लगायत 256, 261 लगायत 264 तन् ग्राम गीदावाला में हिस्सा एक आना दर्ज खातेदारी जो अर्जून, सुवा पुत्र झुंथा के नाम दर्ज है। उक्त भूमि बंटवारें में वादी संख्या 1 लगायत 10 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का कोई लेना-देना नहीं है। उक्त भूमि बंटवारे में वादी संख्या 11 लगायत 19 के कब्जा काश्त में है तथा ग्राम ढ़ाबावाली के खसरा नम्बर 200, 201, 202, 242 में हिस्सा एक आना दर्ज भूमि खातेदारी में अर्जून सुवा पुत्र झुंथा के नाम दर्ज भूमि पर भी वादीगण संख्या 11 (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

...ेख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

ज्याना देवी वगै0 बनाम् अर्जून वगै0
दावा ईस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा व दुरूस्ती रिकार्ड
मुकदमा नं0 17/2018

लगायत 19 काबिज काश्त है। जिन्हे बंटवारे में मिली है। प्रतिवादी सं. 1, 2 व 4 का उक्त भूमियों में कोई सम्बन्ध नहीं है। वादीगण अपने बंटवारे में मिली भूमियों में खाद डालने लगे तो प्रतिवादीगण ने झगड़ा फिसाद किया। इसलिए वादकारण पैदा होने पर वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वादपत्र को पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा के आधार पर बरूये राजीनामा आज आयोजित लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

हमने वादीगण के निवेदन पर सगौर मनन किया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात् व पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा दिनांक 25.05.2018 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार से है। जिसमें पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा भी हो चूका है।

अतः वादीगण द्वारा पेश वादपत्र अटल सेवा केन्द्र– सिहोड़ी पर आयोजित न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से बरूये राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा राजीनामा दिनांक 22.05.2018 को डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री मूर्तिब हो। मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

ज्याना देवी वगै0 बनाम् अर्जून वगै0
दावा ईस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा व दुरूस्ती रिकार्ड
मुकदमा नं0 17/2018

यह निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प सिहोड़ी के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

(ब्रहमलाल जाट)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–सिहोड़ी

Scanned by CamScanner